

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] No. 39] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 22, 2018/माघ 2, 1939

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 2018/MAGHA 2, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 48(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा 1 और 2 के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों को कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये तारीख **26 जनवरी, 2018** से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 (जिसे इसके बाद मूल नियम कहा गया है) के नियम 10 के उपनियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "परंतु यह कि वेब सेवा आरयूएन के माध्यम से नाम आरक्षित करने की दशा में आवेदन का पुनः प्रस्तुतिकरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 3. मूल अधिनियम संलग्नक के मद 1 में (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 के अधीन फाइलिंग इत्यादि के लिए फीस), में रजिस्ट्रार को संदाय किए जाने वाले शुल्क के लिए निम्नलिखित तालिका को रखा जाएगा, अर्थात्:-
- (1) अ. रजिस्ट्रार को अदा किए जाने वाले शुल्क की तालिका

(I) शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में:	ओपीसी तथा	ओपीसी तथा
	छोटी कंपनियों से	छोटी
	भिन्न	कंपनियां
	(रुपए में)	(रुपए में)
1. (क) ओपीसी तथा छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिनका सांकेतिक		
शेयर पूंजी 10,00,000 रु से कम या समान है।		
(ख) ओपीसी और छोटी कंपनियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिनकी सांकेतिक शेयर		200
पूंजी 10,00,000 से अधिक है, 2000 शुल्क के साथ सांकेतिक पूंजी की राशि के		

438 GI/2018 (1)

अनुसार विनियमित अतिरिक्त फीस 50,00,000 रुपए तक तथा पहले 10,00,000 रुपए के बाद प्रत्येक 10,000 की सांकेतिक शेयर पूंजी या 10,000 रुपए के भाग के		
लिए।		
2. (क) कंपनी (ओपीसी और लघु कंपनियों से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिसकी सांकेतिक शेयर पूंजी 10,00,000 से कम या निगमन के समय बराबर है।		
(ख) कंपनी (ओपीसी और लघु कंपनियों से भिन्न) के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिसकी सांकेतिक शेयर पूंजी 10,00,000 से अधिक है सांकेतिक पूंजी की रकम के अनुसार निम्नलिखित विनियमित अतिरिक्त शुल्क सहित 36000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क		
<u> </u>	200	
(i) 50,00,000 रुपए तक और पहले 10,00,00 रुपए के पश्चात् प्रत्येक 10,000 रुपए की सांकेतिक शेयर पूंजी या 10,000 रुपए के भाग के लिए	300	
(ii) एक करोड़ रुपए तक पहले 50,00,000 रुपए के पश्चात् 10,000 रुपए की	100	
प्रत्येक सांकेतिक शेयर पूंजी अथवा 10,000 रुपए के भाग के लिए		
(iii) पहले 1 करोड़ रुपए के पश्चात् 10,000 रुपए की प्रत्येक सांकेतिक शेयर पूंजी	75	
अथवा 10,000 रुपए के भाग के लिए		
परंतु यह भी कि जहां कंपनी की सांकेतिक पूंजी की रकम के अनुसार विनियमित		
अतिरिक्त फीस की राशि दो करोड़ तथा पचास लाख रुपए से अधिक होने पर, ऐसी		
कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए देय अतिरिक्त शुल्क की कुल रकम, किसी भी स्थिति		
में, दो करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।		
3. किसी कंपनी की सांकेतिक शेयर पूंजी में किसी प्रकार की वृद्धि का नोटिस फाइल		
करने के लिए, कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए नोटिस फाइल करने की तारीख को		
बढ़ी हुई शेयर पूंजी पर देय शुल्कों और नोटिस फाइल करने की तारीख को लागू दरों		
पर मौजूदा प्राधिकृत पूंजी पर देय फीसों के बीच अंतर।		
(क) ओपीसी और लघु कंपनियां जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी 10,00,000 से अधिक नहीं है		2000
(ख) ओपीसी और लघु कंपनियों के लिए प्रत्येक 10,000 रुपए सांकेतिक शेयर पूंजी		200
या 10,000 के भाग के लिए प्रथम 10,00,000 और 50,00,000 तक		
(ग) ओपीसी और अन्य लघु कंपनियों से भिन्न कंपनी के सांकेतिक शेयर पूंजी बढाने के लिए जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी 1,00,000 से अधिक नहीं है।	5000	
(घ) कंपनी की सांकेतिक पूंजी को बढाने के लिए जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी		
1,00,000 से अधिक है निम्नलिखित विनियमित अतिरिक्त फीस सहित 5,000 रुपए		
की उपर्युक्त फीस सांकेतिक पूंजी की रकम के अनुसार है।		
(i) 5,00,000 रुपए तक तथा पहले 10,000 रुपए के पश्चात् प्रत्येक 10,000 रुपए	400	
की सांकेतिक शेयर पूंजी या 10,000 रुपए के भाग के लिए		
(ii) 50,00,000 रुपए तक, पहले 5,00,000 रु के पश्चात् 10,000 रुपए की प्रत्येक	300	
सांकेतिक शेयर पूंजी या 10,000 रुपए के भाग के लिए		
(iii) 1 करोड़ रुपए तक पहले 50,00,000 रुपए के पश्चात् प्रत्येक 10,000 रुपए की	100	
सांकेतिक शेयर पूंजी या 10,000 रुपए के भाग के लिए		
(iv) पहले 1 करोड़ रुपए के पश्चात् 10,000 रुपए की प्रत्येक सांकेतिक शेयर पूंजी	75	
अथवा 10,000 रुपए के भाग के लिए		
<i>परंतु कि</i> कंपनी की सांकेतिक पूंजी की राशि के अनुसार विनियमित अतिरिक्त फीस		
की रकम दो करोड़ तथा पचास लाख रुपए से अधिक होने पर, ऐसी कंपनी के		
रजिस्ट्रीकरण के लिए देय अतिरिक्त फीस की कुल रकम, किसी भी स्थिति में, दो		
करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।		
<u> </u>		

4. इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण के संबंध में शुल्कों के भुगतान से छुट प्राप्त कंपनियों को छोड़कर, किसी मीजूदा कंपनी के लिए, किसी नई कंपनी को रिजस्ट्रीकृत करने के लिए समान फीस प्रभारित किया जाता है। 5. इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे दस्ताबेज को प्रस्तुत करने, फाइल करने, रिजस्ट्रीकृत अथवा अभिलिखित किए जाने हेतु अपेशित अथवा प्राधिकृत हो। (क) 1,00,000 रुपए से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) रुप करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26,01,2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रिजस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपिशत अथवा प्रधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रिजस्ट्रीकृत करने के लिए. (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (श) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (श) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (श) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (श) 1 कर
रिजस्ट्रीकृत करने के लिए समान फीस प्रभारित किया जाता है। 5. इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने, फाइल करने, रिजस्ट्रीकृत अथवा अभिलिखित करने के लिए, जो प्रस्तुत, फाइल, रिजस्ट्रीकृत अथवा अभिलिखित किए जाने हेतु अपेक्षित अथवा प्राधिकृत हो। (क) 1,00,000 रुपए से कम की सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक अथर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक अथर पूंजी दाला करपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रिजस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रिजस्ट्रीकृत करने के लिए. (क) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (श) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) 1 करोड़ रुपी वाली कंपनी के संबंध में।
5. इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने, एजिस्ट्रीकृत करने अथवा अभिलिखित करने के लिए, जो प्रस्तुत, फाइल, रजिस्ट्रीकृत अयवा अभिलिखित किए जाने हेतु अपेक्षित अथवा प्राधिकृत हो। (क) 1,00,000 रुपए से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 200 (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 400 (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 500 (अ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 600 (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सिंतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 600 परंतु यह कि तारीख 26,01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 600 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेथितत अथवा प्रधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए. 200 (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 200 (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 500 (ख) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। 500 (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 600 में। 600
रजिस्ट्रीकृत करने अथवा अभिलिखित करने के लिए, जो प्रस्तुत, फाइल, रजिस्ट्रीकृत अथवा अभिलिखित किए जाने हेतु अपेक्षित अथवा प्राधिकृत हो। (क) 1,00,000 रुपए से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ण) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (प) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) एक करोड़ या इससे अधिक तहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेकित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ण) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के मंवंध में। (प) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ह) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (त) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संवर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संजम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
अथवा अभिलिखित किए जाने हेतु अपेक्षित अथवा प्राधिकृत हो। (क) 1,00,000 रुपए से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। एतंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए. (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (त) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संवर्ध में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संजाम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(क) 1,00,000 रुपए से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक िंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक िंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक निकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी वस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपिक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (छ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संजाम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। उहार करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए. (क) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (आ) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (आ) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (आ) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में।
पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) एक करोड़ या इससे अधिक सकितिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26,01,2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिंक शेयर पूंजी वस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संवर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संजम जापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रिजन्ट्रीकरण के लिए
(ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐपी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक कीं तु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के लिए
शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। एरंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिंक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संवभी में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संजम जापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के लिए
(घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ या इससे अधिक से कम की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रिजस्ट्रीकृत करने के लिए. (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिंक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रिजस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रिजस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संवंध में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रिजस्ट्रीकरण के लिए
सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) एक करोड़ या इससे अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिंक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंभ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
परंतु यह कि तारीख 26.01.2018 से निगमित होने वाली ऐसी कंपनियों; जिनकी सांकेतिंक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंभ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
सांकेतिंक शेयर पूंजी दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो, के मामले में फीस लागू नहीं की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
की जाएगी। 6. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अभिलिखित अथवा रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रिजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संवर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संजम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रिजस्ट्रीकरण के लिए
जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत किसी तथ्य को अभिलिखित करने अथवा रिजस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रिजस्ट्रीकरण के लिए
रजिस्ट्रीकृत करने के लिए- (क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) विना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(क) 1,00,000 रुपए से कम तक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (इ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(ख) 1,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 5,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(ग) 5,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 25,00,000 रुपए से कम सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (ा) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रिजस्ट्रीकरण के लिए
शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(घ) 25,00,000 रुपए या इससे अधिक किंतु 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक से कम सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध की। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
सांकेतिक शेयर पूंजी की वाली कंपनी के संबंध में। (ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध में। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(ङ) 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक की सांकेतिक शेयर पूंजी वाली कंपनी के संबंध किं। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
में। (II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
(II) बिना शेयर पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में: 7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
7. अधिकतम 20 सदस्यों की संख्या जैसा कि संज्ञम ज्ञापन में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए
8. 20 से अधिक किंतु अधिकतम 200 तक सदस्यों की संख्या, जैसा कि संज्ञम ज्ञापन 5000
में उल्लिखित है, वाली कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए।
9. संज्ञम ज्ञापन में यथा उल्लिखित किसी ऐसी कंपनी जिसके सदस्यों की संख्या 200
से अधिक है किंतु संख्या असीमित होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, के
रजिस्ट्रीकरण के लिए, पहले 200 सदस्यों के बाद प्रत्येक सदस्य हेतु 10 रुपए की
अतिरिक्त राशि सहित 5,000 रुपए का उपर्युक्त फीस।
10. किसी ऐसे कंपनी के रजिस्ट्रीकरण हेतु, जिसके सदस्यों की संख्या संज्ञम ज्ञापन में 10000
असीमित होने का उल्लेख है।

11. कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सदस्यों की संख्या में हुई किसी वृद्धि के		
रजिस्ट्रीकरण हेतु, वही फीस की राशि देय होगी जो रजिस्ट्रीकरण के समय में संज्ञम		
ज्ञापन में ऐसी वृद्धि उल्लिखित होने की स्थिति में, ऐसी वृद्धि के लिए देय होतीः		
<i>परंतु</i> कि कंपनी के प्रथम रजिस्ट्रीकरण पर प्रदत्त फीस की राशि के मद्देनजर, कोई भी		
कंपनी अपने सदस्यों की संख्या के संबंध में समग्रतः 10,000 रुपए से अधिक फीस		
का भुगतान नहीं करेगी।		
12. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अधिनियम के अधीन		
फीसों के भुगतान से छूट प्राप्त कंपनियों को छोड़कर मौजूदा किसी कंपनी के		
रजिस्ट्रीकरण के लिए, नई कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत करने पर देये शुल्क लागू होगा।		
13. रजिस्ट्रार के पास इस अधिनियम के अधीन फाइल या रजिस्ट्रीकृत करने के लिए	200	
अपेक्षित या प्राधिकृत किसी दस्तावेज को फाइल अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए।		
परंतु यह कि कंपनी की दशा में 26.01.2018 से निगमित होने वाली कंपनियों		
जिनकी सदस्यों की संख्या संगम ज्ञापन में बताई गई है पर 20 से अधिक नहीं है,		
फीस संदेय नहीं होगी।		
14. रजिस्ट्रारण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किए	200	
जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी तथ्य का रिकॉर्ड या पंजीकरण करने के		
लिए।]		

- (1) छोटी कंपनियों (इस अधिनियम की धारा 2(85) के अधीन यथा परिभाषित) तथा इस अधिनियम के 2(62) के साथ पिठत अध्याय-II से संबंधित नियम के अधीन परिभाषित एक व्यक्ति कंपनियों के लिए विहित उपर्युक्त तालिका लागू होगी बशर्ते कि उक्त कंपनी अपने निगमीकरण से कम से कम एक वर्ष से कम अविध हेतु कंपनी की उक्त श्रेणी के रूप में रहे।
- (2) इस अधिनियम की धारा 159 के अधीन रजिस्ट्रार या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली किसी ऐसी सूचना, लेखापरीक्षकों या सचिवालीय लेखापरीक्षा या लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति की नोटिस को फाइल करने के लिए फीस की उपर्युक्त सारणी प्रयोज्य होगी।
- (3) प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए यथा प्रयोज्य शुल्क तथा शुल्क के परिकलन की उपर्युक्त सारणी इस अधिनियम की धारा 233 की उप-धारा (11) के अनुसार पुर्निवत्त पूंजी के लिए प्रयोज्य होगी, (अंतरणकर्ता कंपनी का अंतरित कंपनी के साथ अपने विलय या समामेलन के पूर्व इसकी प्राधिकृत पूंजी पर अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा प्रदत्त शुल्क का प्रति-तुलन करने के पश्चात्)।
- (4) इस अधिनियम की धारा 130 तथा 131 के अधीन संशोधित वित्तीय विवरण या बोर्ड रिपोर्ट के लिए फीस की उपर्युक्त सारणी प्रयोज्य होगी।

[फा. सं. 01/16/2013 सीएल.V (पार्ट. I)] के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल अधिसूचना सा.का.नि. 268(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 की द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और उसके पश्चात् इसे निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया –

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि. 122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि. 438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि. 493(अ)	06.05.2016

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2018

- **G.S.R. 48**(E).— In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Amendment Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the 26th January 2018
- 2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, (herein after refer to as the principal rules), in rule 10, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely:-
 - "provided that no re-submission of the application is allowed in the case of reservation of a name through web service RUN".
- 3. in the principal Act, in the Annexure, in item I (Fee for filings etc. under section 403 of the Companies Act, 2013), for the Table of Fees to be paid to the Registrar, the following shall be substituted namely:-
 - (1) A.Table of Fees to be paid to the Registrar

(I) In many at of a common having a share souital	O41 41 ODC	ODC J C 11
(I) In respect of a company having a share capital:	Other than OPCs	OPC and Small
	and Small	Companies (in
	Companies (in	rupees)
	rupees)	
1. (a) For registration of OPC and small companies whose nominal share capital is less than or equal to Rs.10,00,000.	_	
(b) For registration of OPC and small companies whose nominal share capital exceed Rs. 10,00,000, , the fee of Rs. 2000 with the following additional fees regulated according to the amount of nominal capital: For every Rs.10,000 of nominal share capital or part of Rs.10,000 after the first Rs.10,00,000 and up to Rs. 50,00,000.		200
2. (a) For registration of a company (other than OPC and small companies) whose nominal share capital is less than or equal to Rs. 10,00,000 at the time of incorporation.		_
(b) For registration of a company (other than OPC and small companies) whose nominal share capital exceed Rs. 10,00,000, the fee of Rs.36,000 with the following additional fees regulated according to the amount of nominal capital:		
(<i>i</i>) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs 10,000 after the first Rs. 10,00,000 upto Rs. 50,00,000.	300	-
(<i>ii</i>) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs. 10,000 after the first Rs. 50,00,000 upto Rs. one crore.	100	_
iii) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs. 10,000 after the first Rs. 1 crore.	75	_
Provided further that where the additional fees, regulated according to the amount of the nominal capital of a company, exceed a sum of rupees two crore and fifty lakh, the total amount of additional fees payable for the registration of such company shall not, in any case, exceed rupees two crore and fifty lakhs.		
3. For filing a notice of any increase in the nominal share capital of a company, the difference between the fees payable on the increased share capital on the date of filing the notice for the registration of a company and the fees payable on existing authorized capital, at the rates prevailing on the date of filing the notice:		

(a) For OPC and small companies whose nominal share capital		2000
does not exceed Rs. 10,00,000.	-	2000
(b) For OPC and small companies, for every Rs. 10,000 of	-	200
nominal share capital or part of Rs. 10,000 after the first		
Rs. 10,00,000 and upto Rs. 50,00,000.	F000	
Other than OPC and small companies	5000	
(c) For increase in nominal capital of a company whose nominal share capital does not exceed Rs. 1,00,000.		
(d) For increase in nominal capital of a company whose nominal		
share capital exceed Rs. 1,00,000, the above fee of Rs. 5,000 with the		
following additional fees regulated according to the amount of		
nominal capital :		
(i) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs. 10,000	400	_
after the first Rs. 1,00,000 upto Rs. 5,00,000. (ii) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs 10,000	300	
after the first Rs. 5,00,000 upto Rs. 50,00,000.	300	_
area are moral as 5,00,000 upto 16. 50,00,000.		
(iii) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs. 10,000	100	_
after the first Rs. 50,00,000 upto Rs. one crore.		
(iv) for every Rs. 10,000 of nominal share capital or part of Rs. 10,000	75	
after the first Rs. 1 crore.		
Provided further that where the additional fees, regulated according		
to the amount of the nominal capital of a company, exceed a sum of		
rupees two crore and fifty lakh, the total amount of additional fees		
payable for the registration of such company shall not, in any case,		
exceed rupees two crore and fifty lakhs.		
4. For registration of any existing company, except such companies as		
are by this Act exempted from payment of fees in respect of		
registration under this Act, the same fee is charged for registering a new company.		
5. For submitting, filing, registering or recording any document by		
this Act required or authorised to be submitted, filed, registered or		
recorded:		
(a) in respect of a company having a nominal share capital of less	200	
than Rs. 1,00,000.		
(b) in respect of a company having a nominal share capital of	300	
Rs. 1,00,000 or more but less than Rs.5,00,000. (c) in respect of a company having a nominal share capital of	400	
Rs. 5,00,000 or more but less than Rs.25,00,000.	400	
(d) in respect of a company having a nominal share capital of	500	
Rs.25,00,000 or more but less than Rs. 1 crore or more.		
(e) in respect of a company having a nominal share capital of Rs. 1	600	
crore or more.		
Provided that in case of companies to be incorporated with effect		
from 26.01.2018 with a nominal capital which does not exceed rupees		
ten lakhs fee shall not be payable. 6. For making a record of or registering any fact by this Act required		
or authorised to be recorded or registered by the Registrar:		
(a) in respect of a company having a nominal share capital of less	200	
than Rs. 1,00,000.		
(b) in respect of a company having a nominal share capital of	300	
Rs. 1,00,000 or more but less than Rs.5,00,000.		
(c) in respect of a company having a nominal share capital of	400	
Rs. 5,00,000 or more but less than Rs.25,00,000.	EOO	
(d) in respect of a company having a nominal share capital of Rs.25,00,000 or more but less than Rs. 1 crore or more.	500	
(e) in respect of a company having a nominal share capital of Rs. 1	600	
crore or more.	000	
		1

(II) In respect of a company not having a share capital:		
7. For registration of a company whose number of members as stated in the articles of association, does not exceed 20.	-	
8. For registration of a company whose number of members as stated in the articles of association, exceeds 20 but does not exceed 200.	5000	
9. For registration of a company whose number of members as stated in the articles of association, exceeds 200 but is not stated to be unlimited, the above fee of Rs.5,000 with an additional Rs. 10 for every member after first 200.		
10. For registration of a company in which the number of members is stated in the articles of association to be unlimited.	10000	
11. For registration of any increase in the number of members made after the registration of the company, the same fees as would have been payable in respect of such increase, if such increase had been stated in the articles of association at the time of registration: <i>Provided</i> that no company shall be liable to pay on the whole a greater fee than Rs. 10,000 in respect of its number of members, taking into account the fee paid on the first registration of the company.		
12. For registration of any existing company except such companies as are by this Act exempted from payment of fees in respect of registration under this Act, the same fee as is charged for registering a new company.		
13. For filing or registering any document by this Act required or authorized to be filed or registered with the Registrar. Provided that in case of companies to be incorporated with effect from 26.01.2018 whose number of members as stated in the articles of association, does not exceed 20, fee shall not be payable.	200	
14. For making a record of or registering any fact by this Act required or authorised to be recorded or registered by the Registrar.]	200	

- (1) The above table prescribed for small companies (as defined under section 2(85) of the Act) and one person companies defined under Rule related to Chapter II read with section 2(62) of the Act shall be applicable provided the said company shall remain as said class of company for a period not less than one year from its incorporation.
- (2) The above table of fee shall be applicable for any such intimation to be furnished to the Registrar or any other officer or authority under section 159 of the Act, filing of notice of appointment of auditors or Secretarial Auditor or Cost Auditor.
- (3) The above table of fee and calculation of fee as applicable for increase in authorised capital shall be applicable for revised capital in accordance with sub-section (11) of 233 of the Act, (after setting off fee paid by the transferor company on its authorised capital prior to its merger or amalgamation with the transferee company).
- (4) The above table of fee shall be applicable for filing revised financial statement or board report under section 130 and 131 of the Act.

[F. No. 01/16/2013 CL-V (Pt-I)]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial	Notification Number	Notification Date
Number		
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016